



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर, 2024
कार्तिक 23, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 385/79-वि-1-2024-2-क-19-2024
लखनऊ, 14 नवम्बर, 2024

अधिसूचना
विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2024) जिससे राज्य कर अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2024)

[भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम एवं
प्रारम्भ

(2) इस अध्यादेश के उपबंध ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगे, जैसा राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु यह कि इस अध्यादेश के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
1 सन् 2017 की
धारा 2 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 2 में खण्ड (61) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

“(61) “इनपुट सेवा वितरक” का तात्पर्य माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकर्ता के कार्यालय से है, जो धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से, धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिये दायी सेवाओं के संबंध में बीजकों सहित इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति से ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है;”

धारा 20 का
प्रतिस्थापन

3-मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

“20-(1) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकर्ता का कोई कार्यालय जो इनपुट सेवाओं, इनपुट सेवा जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के वितरक द्वारा लिये दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं, की प्राप्ति के प्रत्यय के वितरण लिए धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी की रीति ओर से कर बीजक प्राप्त करता है, का धारा 24 के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा और ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर लगाए गए, राज्य कर या एकीकृत कर के प्रत्यय जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिये उद्ग्रहीत सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर का प्रत्यय सम्मिलित है, जिसका संदत्त उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा किया गया हो, को ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्याधीन जैसा विहित किया जा सकता है, वितरित करेगा।

(3) राज्य कर का प्रत्यय, राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में तथा एकीकृत कर, एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में ऐसा दस्तावेज जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की धनराशि अंतर्विष्ट हो, को जारी किए जाने के लिए इस रीति से वितरित किया जायेगा, जैसा कि विहित हो।”

नई धारा 122 क
का बढ़ाया जाना

4-मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

“122क. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रक्रिया के जो ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है जिसके संबंध में मशीनों अधीन माल के के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया धारा 148 के विनिर्माण में उपयोग अधीन अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया का उल्लंघन की जाने वाली कुछ करता है, वहां वह अध्याय पन्द्रह या इस अध्याय के किसी अन्य मशीनों को पंजीकृत उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदत्त या संदेय किसी शास्ति के न कराने पर शास्ति अतिरिक्त, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न की गई प्रत्येक मशीन के लिए एक लाख रुपए धनराशि के बराबर शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न की गई प्रत्येक मशीन अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी:

परंतु यह कि ऐसी मशीन तब अधिहरण नहीं की जाएगी, जहां-

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति संदत्त कर दी गयी है; और

(ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण शास्ति के आदेश की संसूचना प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर विशेष प्रक्रिया के अनुसार कर दिया गया है।”

आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 385(2)/LXXIX-V-1-2024-2-ka-19-2024

Dated Lucknow, November 14, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Maal Aur Seva Kar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2024 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 19 of 2024) promulgated by the Governor. Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2024
(U.P. ORDINANCE NO. 19 OF 2024)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-fifth Year of the Republic of India]

AN
ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024. Short title and commencement

(2) The provisions of this Ordinance shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Ordinance.

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, for clause (61), the following clause shall be substituted, namely:- Amendment of section 2 of U.P. Act no.1 of 2017

"(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;"

3. For section 20 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 20

"20. (1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input Service Distributor under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.

(2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of state tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of state or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.

(3) The credit of state tax shall be distributed as state tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or state tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner as may be prescribed."

Insertion of new
section 122A

4. After section 122 of the principal Act, the following section shall be
inserted, namely:-

" 122A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any
Penalty for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under section 148, acts in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable by him under Chapter XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees for every machine not so registered.

(2) In addition to the penalty under sub-section (1), every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:

Provided that such machine shall not be confiscated where-

(a) the penalty so imposed is paid; and

(b) the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty."

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 342 राजपत्र-2024-(852)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 89 सा० विधायी-2024-(853)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।